तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज मोहनलाल बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 162/2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.09.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी मोहनलाल पुत्र पन्नालाल तिवाड़ी पता तिवाड़ी कृषि फार्म बेरा उगणिया, खारिया मीठापुर, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 27.06.19 में उसके द्वारा (1) ग्राम बासनी बाघेला पटवार हलका गुड़ा विश्नोईयान तहसील लूणी के खसरा संख्या 28/1, 25/2, 35/3, 26/2, 26/3, 27/1 बाबत् तहसीलदार लूणी के आदेश कमांक/भू.अ./2011/786 दिनांक 31.01..2011 में कृषि भूमि के विभाजन की सम्पूर्ण पत्रावली मय आवेदन, शपथ पत्र, मौका रिपोर्ट इत्यादि, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1249 दिनांक 09.09.19 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें व्यक्त किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी राजस्थान सम्पर्क एवं अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 949 दिनांक 29.07.19 द्वारा 26 पृष्ठों की सूचना प्रेषित की जा चुकी है। चूंकि प्रार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है अतः इस स्टेज पर अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	